फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

श्री मांगीलाल बनाम विपक्षी : श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कानोड व अन्य

मुकदमा – 9 नियम 9 व 4 एवं सपठित धारा 151 जा.दी. सिविल प्रक्रिया संहिता पत्रावली संख्या :41/25

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 18.11.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी के सम्मन वाद तामिल प्राप्त। विपक्षी द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। जवाब का अवसर बंद किया जाता हैं। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल प्रकरण संख्या 91/2023 में दिनांक 24.02.2025 को की गई कार्यवाही को अपास्त कर प्रार्थना पत्र को पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि प्रकरण संख्या 91/2023 अनवान मांगीलाल बनाम राज्स सरकार जरिये तहसीलदार कानोड प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत माननीय न्यायालय में विचाराधीन था और प्रार्थी स्वयं द्वारा उक्त प्रकरण में पैरवी की जा रही थी। उक्त अनवान प्रकरण के विचारण के दौरान माननीय न्यायालय के द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी किये तथा दिनांक 04.08.2023 को राजस्व में शुद्वि बाबत जांच रिपोर्ट दिनांक 04.08.2023 को तैयार कर माननीय न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत कर दी थी, तत्पश्चात दिनांक 13.02.2024 को माननीय न्यायालय की आदेशिका में रिपोर्ट का अवलोकन कर प्रभावित खातेदार को सूचना पत्र जारी किये जाने का आदेश फरमाया गया था। तत्पश्चात पत्रावली पुनः न्यायालय में दिनांक 26.03.2024 व 14.05.2024 को सुनवाई में रखी तत्पश्चात् आगामी तारीख सुनवाई हेतु न्यायालय द्वारा आदेश प्रदान किये गये। तत्पश्चात दिनांक 02.09.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी की उपस्थिति में प्रार्थी की ओर से बहस सुनी गई और प्रकरण को निर्णय हेतु दिनांक 01.10.2024 को निर्णय हेतु फरमाई हुई थी। यह कि इस दौरान प्रार्थी पैरालेसिस अटैक की गंभीर बीमारी से ग्रसित हो चुका था जिसमें उसे ईलाज के दौरान डॉक्टर द्वारा बेड रेस्ट हेतु कहा गया था इस कारण वह दिनांक 14.05.2024 के पश्चात न्यायालय में स्वयं उपस्थित नहीं हो सका जिससे प्रकरण दिनांक 24.02.2025 को अदम पैरवी अदम हाजरी खारिज फरमा दिया गया जिससे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 व 4 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाकर मूल प्रार्थना पत्र में पारित आदेश दिनांक 24.02.2025 को अपास्त फरमाया कर मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू प्रबन्धन अधिकारी को पुनः रेस्टोर किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन से पाया की मूल प्रकरण संख्या 91/2023

सहायक कलक्टर
भीण्डर

अनवान श्री मांगीलाल बनाम श्री राज्य सरकार जरिये में दिनांक 24.02.202
के अनुपस्थित रहने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी/अदम पैरवी में
गया। प्रार्थी द्वारा जानकारी में आते ही प्रार्थना पत्र पेश किया गया।
कथनानुसार प्रार्थी पैरालेसिस अटेक की बीमारी से ग्रस्ति होने के कारण
उपस्थित नहीं हो सका जिससे प्रार्थना पत्र अदम हाजरी/अदम पैरवी में
गया जिससे मूल प्रार्थना पत्र को पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवे..
विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन प्रस्तुत नहीं किया
प्रकरण शुद्धि से संबंधित है जिसमें प्रार्थी का हित निहीत होने से प्रार्थी का
आदेश 9 नियम 9 व 4 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का
स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता हैं।

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 व 4 सपठित
सिविल प्रक्रिया सहिता का न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मूल प्रार्थना पत्र
संख्या 91/2023 अनवान श्री मांगीलाल बनाम श्री राजस्थान राज्य जरिये तह
कानोड में आदेश दिनांक 24.02.2025 को अपास्त किया जाकर मूल प्रार्थना पत्र
नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर
कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश चन्द्र बहेडिया RAS)
सहायक कलक्टर
भीण्डर

सहायक कलक्टर
भीण्डर

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)